



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2224878

ई-मेल rmsc.mnjj@gmail.com

एफ04 () एमएनजेवाई/2013 /3585

दिनांक 02/09/2017

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राज0।

विषय:- आरएमआरएस (RMRS) की ऑडिट रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य के सभी जिला/उप/सेटेलाईट/सीएचसी/पीएचसी एवं डिस्पेंसरी, 44, 28 एवं 15 जांचे निःशुल्क की जा रही है। जिसके कारण विभिन्न आरएमआरएस को उक्त जांचों के पेटे प्राप्त आय के राजस्व हानि हो रही है।

इस राजस्व हानि के पेटे विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आपके अधीन आरएमआरएस के गत वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करे। जिससे आरएमआरएस में अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जा सके।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0।
2. निजी सचिव, सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0।
3. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव चि0स्वा0 विभाग राज0।
4. समस्त कलक्टर, राज0।
5. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) राज0।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. परियोजना निदेशक/नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र समस्त को ई-मेल कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर